न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 11/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ीता पत्नी स्व. किशनाराम जाति जाट ेवासी साडोकण तहसील व जिला ागौर।		1. किरताराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी साडोकण तहसील व जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट एवं
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक :– 12.06.2017

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादीनी प्रतिवादीगण 1 की पुत्र वधु तथा स्व. किशनाराम की पत्नी है तथा किशनाराम के फौत हो जाने के कारण उसको उतराधिकारी वारिस व हक हकुक की अधिकारी है जिस कारण यह वाद पेश किया गया है तथा सजरा खान दान इस प्रकार है।

यह है कि, वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र किशनाराम की पत्नी है तथा किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिस कारण किरताराम के खातेदारी जगीन जो पुस्तैनी है उसमें अपना हक हिस्सा बंट कानूनी रूप से निहित होने से प्राप्त करने व सहखातेदारी स्थापित करने हेतु यह वाद पेश किया गया है। क्योकि खसरा नम्बर 427 रकबा 26.10 बीघा, खसरा नम्बर 428 रकबा 27.10 बीघा, खसरा नम्बर 656 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नम्बर 657 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नम्बर 689 रकबा 9.01 बीघा वाके मौजा साडोकण में स्थित है जो स्व. मुगना पुत्र तिलोका के नाम रहता चला आकर मेरे ससुर किरताराम के नाम वर्तमान खातेदारी दर्ज है जो पुस्तैनी होने से मेरे पति स्व. किशनाराम का हक हिस्सा निहित है जिनकी एकमात्र उतराधिकारी वादीनी गीता है जिसके कारण मुझे उक्त खेत में सहखातेदार के रूप में कानूनी रूप से स्थापित होने का अधिकार है।

यह है कि, स्व. मुगना के चार पुत्र हिराराम, आईदान, रामकरण व किरताराम हुए जिनमें आईदान अविवाहित था और फौत हो गया ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण जमीन कुल 70.10 बीघा मे मुगना की जमीन के बराबर 1/3 बंट होने से वर्तमान में किरताराम 1/3 हिस्सेदार है तथा किरताराम के कुल चार पुत्र तथा स्वयं किरताराम होने से वादीनी का किरताराम के 1/3 हिस्से मे से 1/5 हिस्सा बनता है जिसका मुझ वादीनी को सहखातेदार के रूप में स्थापित किया जावे क्योकि किरताराम के अन्य तीन पुत्र जो प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है के नोशनल हिस्सा मुताबिक वादीनी इसकी हकदार है जिस कारण यह वाद पेश किया गया है।

यह है कि, उपरोक्तानुसार प्रार्थीनी द्वारा यह अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया जा रहा है कि वादीनी द्वारा उपरोक्त वाद ठोस आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफल होने कि पूरी उम्मीद है जिस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.), नागौर

Scanned by CamScanner

यह है कि, वादीनी गीता प्रतवादी संख्या 1 के पुत्र स्व. किशनाराम की पत्नी व ताराम की पुत्र वधु है तथा किशनाराम के दादा के पुस्तैनी खेताय खसरा नम्बर 427 बा 26.10 बीघा, खसरा नम्बर 428 रकबा 27.10 बीघा, खसरा नम्बर 656 रकबा 2.16 बीघा, सरा नम्बर 657 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नम्बर 689 रकबा 9.01 बीघा मौजा साडोकण में ते चले आये है जिनमें वादीनी का भी कानूनी रूप से हक अधिकार निहित है परन्तु ताराम उक्त खेताय को बेचने पर आमादा है जिससे मुझ वादीनी के हक अधिकार समाप्त जायेगे व वाद विवाद पैदा होगे जिस कारण भी यह आवेदन पेश है करना लाजीमी हो ा है और प्रथम दृष्टया मामला वादीनी के पक्ष में है।

यह है कि, अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने खातेदारी आड़ में खेताय का विक्रय कर ता है तो वादीनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह मुद्रा में नही की जा कती।

यह है कि, प्रतिवादी को बेचने से रोका जावे तो उसे किसी भी प्रकार की न तो क्षति ोगी और न ही असुविधा बल्कि मुझ वादीनी के हक हकुको पर विक्रय की स्थिति में संकट ा जायेगा और मेरे पति के हक हिस्से की भूमि से महरूम होने का खतरा पैदा हो जायेगा जिस कारण सुविधा का सन्तुलन भी मुझ वादीनी के पक्ष में है।

यह है कि, पुस्तैनी खेताय प्रथम दृष्टया ही साबित होने से तथा वादीनी का प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र की पत्नी होने से कानूनी अधिकार बंट, हक हिस्सा निहित है जिसका अभी ौतिक रूप से बंटवाडा होना व रेकर्डेड खातेदार दर्ज होने का वाद पेश है जिसमें समय गना तय है जिस कारण भी वाद के अन्तिम निपटारे तक प्रतिवादी को उक्त खेताय विक्रय स्तान्तरण, रहन इत्यादि करने से रोका जाना विधि सम्मत है जिस कारण यह प्रार्थना पत्र ेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये ये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थना पत्र का रा संख्या 1 सही है लेकिन प्रार्थीनी ने सजरा गलत पेश है जो अस्वीकार है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय खसरा नम्बर 427, 428, 656, 57, 689 वाके मौजा साडोकण स्व. मुगना पुत्र तिलोका के नाम रहते चले आने व वर्तमान में किरताराम के नाम खातेदारी दर्ज होने से तथ्य सही है। लेकिन यह गलत है कि किशनाराम ी एक मात्र उतराधिकारी प्रार्थीनी हो, बल्कि स्व. किशनाराम के प्रार्थीनी के अलावा तीन ुत्रिया कमला, सुमित्रा व शोभा मौजूद है जो भी विधिक उतराधिकारी है और वाद व आवेदन उक्त तीनो पुत्रियां आवश्यक पक्षकार है मगर जानबूझ कर प्रार्थीनी ने उक्त किसनाराम की वैधिक उतराधिकारी तीनो पुत्रियो को पक्षकार नही बनाया है न ही सजरा में उक्त पुत्रियों को र्शाया है इसलिए आवश्यक पक्षकारो के अभाव में वाद व यह आवेदन चलने योग्य नहीं है ारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी ने जिस नुसार इस अनुच्छेद में हिस्सा कस्सी बतायी है उसके अनुसार प्रार्थीनी का हक हिस्सा नहीं

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

ता है स्व. किसनाराम के हिस्से की हकदार उसकी तीनों पुत्रियां भी है लेकिन प्रार्थीनी बूझ कर न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य प्रकट कर आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाये ा गलत हिस्सा करसी की घोषणा करवाने का असफल प्रयास किया है जिसमें प्रार्थीनी ल नही हो सकती है इसलिए मूल वाद ही विधिनुसार पोषणीय नहीं होने से यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी ने वाद थ्या आधारो पर पेश किया है, ठोस आधारो पर पेश करने का कथन झूठा है प्रार्थीनी का द दोषपूर्ण है इसलिए प्रार्थीनी किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा अप्रार्थी काबिज काश्तकार व तेदार के विरूद्ध पाने की अधिकारी नही है न ही इन परिस्थितियों में कोई निषेधाज्ञा धिनुसार जारी ही की जा सकती है मूल वाद व यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। इस अनुच्छेद में : खेताय के खसरा नम्बर व रकबा का विवरण दिया है जो सही है उससे कोई विरोध नहीं मगर यह गलत है कि किरताराम उक्त खेताय को बेचने पर आमादा हो। जबकि अप्रार्थी रताराम किसी भी आराजी को बेचान करने पर आमादा नहीं है। दोयम में अप्रार्थी किरताराम के पर काबिज काश्तकार व रेकर्डेड खातेदार है जिसको अपने हक, अधिकार व खातेदारी ी भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग, हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार है जिन धिक अधिकारो में प्रार्थीनी किसी प्रकार की बाधा या रूकावट करने की अधिकारी नहीं है र्थीनी की वर्तमान परिस्थितियों में कोई लोकस स्टेण्डाई नही है मिथ्या आधारो पर वाद व ावेदन पेश किया है प्रार्थीनी न तो रेकर्डेड खातेदार है न काबिज काश्तकार है इसलिए प्रथम ष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में न होकर, मौके व रेकर्ड एवं विधिक प्रावधानो अनुसार तरदाता अप्रार्थी के पक्ष में होने से आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि गर अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी की आड़ में खेताय का विक्रय कर देता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। जब प्रार्थीनी/प्रार्थीनी का कोई हक अधिकार है ही नही तो उसे केसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बनावटी व झूठे तथ्य केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में दर्ज किये जाते है वैसे तथ्य दर्ज कर आवेदन पेश किया है जससे प्रार्थीनी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है।

यह है कि, आवेदन पत्र का पैरा संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी को सके विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग से प्रार्थीनी रूकवाने की कतेई अधिकारी नही है से अधिकारो के उपयोग से अप्रार्थी को रोका जाता है तो उसके हक अधिकारो पर ठाराघात होगा व उसे अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में न होकर तरादाता के पक्ष में है।

यह है कि, आवेदन का पैरा संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी व उसका ति शुरू से ही प्रार्थीनी के पिता के साथ ही रहे इन खेताय पर उनका कोई कब्जा हक धिकार नहीं रहा है इसलिए प्रार्थीनी का न तो कब्जा है न ही खातेदार है जिसमें प्रथम ष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन के तीनो बिन्दु उतरदाता के पक्ष में है ावेदन खारिज किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त अनुच्छेद

यह है कि, विवादित आराजी खेताय हाल खसरा नम्बर 427, 428, 656, 657, 689 वाके साडोकण तहसील नागौर कुल रकबा 70.10 बीघा वाके मौजा साडोकण स्व. मुकनाराम न जरूर थी, उनके फौत होने पर उनके चार पुत्रो आईदानराम, हीराराम, रामकरण व श्री किरताराम के नाम खातेदारी बतौर फौतगी नामान्तरकरण के दर्ज हुई। उक्त जमीन में श्री किरताराम का 1/4 हिस्सा ही था, जिससे उक्त 70.10 बीघा मे से करीब 17.12 बीघा न बंट में आई थी। बाद में आईदानराम लाओलाद फौत हो जाने से उसकी जमीन अन्य तीनो भाईयो के हिस्से में आई। जिसमें प्रार्थीनी व उसकी पुत्रियो का कोई हक हिस्सा दारी अधिकार नहीं है। तत्पश्चात हीराराम व रामकरण भी फौत हो गये तो उनके हिस्से भूमि उनके उत्तराधिकारियों के नाम खातेदारी में आई गई।

यह है कि, स्व. किशनाराम का विवाह ग्राम खेरवाड़ के लाखाराम की पुत्री प्रार्थीनी ा के साथ होना तय किया गया था, उस वक्त दोनो पक्षो में यह तय किया गया कि डाराम के मात्र एक पुत्री गीता (प्रार्थीनी) ही है, तथा उसके कोई पुत्र नही है इसलिए गीता अपने पिता की वारिस है, विवाह के बाद गीता अपने माता–पिता के साथ ही रहेगी तथा के माता पिता की ही वारिस रहेगी। यह भी तय हुआ कि गीता अपने सुसराल ग्राम डोकण कभी नही जायेगी तथा गीता का पति उक्त किशनाराम ग्राम खेरवाड़ में ही अपने स–ससुर के यहां घर जंवाई आकर के रहेगा तथा किशनाराम व गीता अपने पिता व ससुर ने मुगनाराम की जमीन जायदाद मे से कोई हक, हिस्सा नहीं मांगेगे एवं न ही उपरोक्त वादित आराजी में उनका किसी प्रकार का हक हिस्सा अधिकार रहेगा। किशनाराम ने अपना क अपने पिता व पुश्तेनी जायदाद व खेतो मे से हक तर्क कर दिया इसके बाद उसका वाह किया गया, शादी के बाद किशनाराम अपनी पत्नी प्रार्थीनी गीता के साथ ग्राम खेरवाड़ ही रहा तथा अपने ससुर की जमीन का हकदार हुआ, विवादित जमीन पर उसका कोई क, अधिकार कब्जा काश्त नहीं रहा तथा किशनाराम के ससुर का देहान्त संवत 2048 के स पास हो गया तब किशनाराम व प्रार्थीनी गीता ने ही उनके हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म कर 12 दिन किये। लाखाराम की जायदाद के वारिसान प्रार्थीनी गीता के नाम ातेदारी हो गयी तथा किशनाराम भी ग्राम खेरवाड़ में ही अपनी पत्नी के साथ वारीस के रूप ही रहा। शादी के बाद किशनाराम के उसकी पत्नी से चार संताने हुई जिनमें तीन ड़किया व एक लड़का हुआ, वे भी गांव खेरवाड़ में ही पैदा हुऐ, शादी के बाद किशनाराम व सकी पत्नी प्रार्थीनी गीता व पुत्रियां तथा पुत्र का ग्राम साडोकण से कोई संबंध नही रहा व ग्राम साडोकण में अप्रार्थी किरताराम के यहा रहे एवं न ही किरताराम का उनके कोई संबंध हा। किशनाराम का अकस्मात देहान्त 2053 में ग्राम खेरवाड़ में ही हुआ। उसके बाद प्रार्थीनी ाम खेरवाडा में ही रही तथा अपने पिता की सम्पति के हकदार हुऐ। किशनाराम के देहान्त बाद उसके पुत्र की 6 माह बाद खेरवाड़ गांव में ही मृत्यु हो गई। प्रार्थीनी ने अपनी ाबलिग पुत्रियों की शादी भी गांव खेरवाड़ में ही की थी, जिसमें अप्रार्थीगण को नही बुलाया था अप्रार्थीगण से संबंध तोड़ लिया। प्रार्थीनी ग्राम खेरवाड़ में ही निवास करती है तथा स्व.

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

खाराम की सम्पति की उतराधिकारी होने से उसकी जायदाद पर ही काबिज है। प्रार्थीनी
ह साडोकण में कभी नहीं आई न ही उसका उक्त वादग्रस्त खेताय में कभी कोई कब्जा
ल्त रहा। प्रार्थीनी लोगो की सिखावट में आकर उक्त भूमि में बिना हक, कब्जा काश्त होते
भी गलत रूप से अप्रार्थी किरताराम को परेशान करने के लिए दावा पेश किया है।

यह है कि, किशनाराम की प्रार्थीनी पत्नी है तथा स्व. किशनाराम के तीन पुत्रियां
मला, सुमित्रा व शोभा मौजूद है इस प्रकार स्व. किशनाराम के उतराधिकारी के रूप में
र्थीनी व किशनाराम की पुत्रियां कमला, सुमित्रा व शोभा सहित चार उतराधिकारी है स्व.
शनाराम के वारीस चार होने से प्रार्थीनी का चौथा हिस्सा ही होता है प्रार्थीनी ने अपनी
त्रियां कमला, सुमित्रा व शोभा को जानबूझ कर पक्षकार नही बनाया है। यदि किशनाराम का
स्सा 20वां हिस्सा माना जावे तो प्रार्थीनी का हिस्सा 80वां हिस्सा होता है जिससे अप्रार्थी
ख्या 1 किरताराम की भूमि में मात्र एक बीघा ही भूमि हिस्से में नही आती है प्रार्थीनी ने वाद
अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्व. किशनाराम की एकमात्र वारीस उतराधिकारी बन कर
/3 का 1/5वां हक, हिस्सा के लिए पेश किया है जो सरासर गलत व विधि विरूद्ध है
योकि प्रार्थीनी मात्र 1/80वां हिस्सा की ही हकदार बन सकती है। प्रार्थीनी अपने पिता की
क मात्र पुत्री होने से तथा अपने पति व पुत्रियो के साथ ग्राम खेरवाड़ में निवास करती है
पने पिता लाखाराम की ही वारीस उतराधिकारी हुई है स्व. किशनाराम ने अपने ससुर के
थ रहने तथा उनका खेरवाड में वादी व अपनी पुत्रियो के साथ ग्राम खेरवाड में रहने व
न साडोकण में अप्रार्थी किरताराम की भूमि में हक त्याग करने से अप्रार्थी किरताराम की
ने में कोई हक, हिस्सा की हकदार नहीं है।

यह है कि, प्रार्थीनी ने अपनी पुत्रियो कमला, सुमित्रा व शोभा को वादीगण बनाकर
प्रार्थीगण किरताराम, झणकारी, शिवजीराम के खिलाफ उक्त खेताय के संबंध में घोषणा
ातेदारी, बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय में दिनांक 28.09.2006 को
श किया, जिसमें अप्रार्थी किरताराम व शिवजीराम ने अपना जवाब भी प्रस्तुत कर दिया था,
द में उक्त वाद में पैरवी नहीं करने से वादी संख्या 154/06 अनवान गीता बनाम झणकारी
साल चलने के बाद दिनांक 10.05.2013 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया,
सके विरूद्ध कोई अपील नही की गई। प्रार्थीनी उक्त दावे के बारे में तथ्य छुपा कर नया
वा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो धारा 11 सी.पी.सी. के तहत बाध्य है जिससे दावा
ारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, प्रार्थीनी ने जाहिर किया कि प्रार्थीनी को दिनांक 15.02.2017 को जानकारी
ई कि अप्रार्थी किरताराम खेत बेचने हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है जो गलत व झूठे कथन
ये है। वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीनी को सन 2006 से ही समस्त जानकारी थी,
सके लिए प्रार्थीनी ने अपनी पुत्रियो सहित अप्रार्थीगण के खिलाफ दावा व स्थगन प्रार्थना
त्र पेश किया जो सात साल चलने के बाद दिनांक 10.05.2013 को खारिज हो गया तथा
रे तथ्यो को छुपा कर उक्त दावा पेश किया है अदालत के साथ धोखाधडी की है प्रार्थीनी
च्छ हाथो से नही आई है इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि, प्रार्थीनी उक्त खेताय की खातेदार नही है अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है
लिए रेकर्डेड खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

न ही ऐसी कोई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकुलाय ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो पर बल दिया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी 2002 पृष्ठ 744, आर.आर.डी. 1996 पृष्ठ 321 प्रस्तुत कर ध्यान इंगित करवाया। पत्रावली में संलग्न खतौनी ग्राम साडोकण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 427, 428, 656, 657, 679 झणकारी पुत्री हीराराम, शिवजीराम पुत्र रामकरण, किरताराम पुत्र मगनाराम कौम जाट की सहखातेदारी में दर्ज साबित है। खातेदार किरताराम प्रार्थिया गीता के ससुर है प्रार्थिया गीता के पति किशनाराम फौत हो चुका है। प्रार्थिया के ससुर किरताराम वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार दर्ज है जिसमें किरताराम के पुत्र स्वर्गीय किशनाराम का भी वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंच की भूमि पर स्वर्गीय किशनाराम के फौत हो जाने से उसकी पत्नी गीता प्रार्थीनी का कब्जा काश्त निहित रहता चला आया है। अगर सहखातेदारान द्वारा बिना बंटवाडा किये ही भूमि का विक्रय कर देगे तो कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य आपस में शांति भंग होने का अंदेशा रहेगा। पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त खेताय का बंटवाडा हेतु वाद विचाराधीन है। जिसमें बाद शहादत सबूत के निर्णय होना शेष है। अप्रार्थी वकील का यह कथन मानने योग्य नही है कि लाखाराम के मात्र 1 पुत्री गीता प्रार्थीनी है। तथा उसके कोई पुत्र नही है। इसलिए गीता की अपने पिता की वारिस है तथा विवाह के बाद गीता अपने माता–पिता के साथ रहेगी तथा अपने ससुराल ग्राम साडोकण कभी नही जायेगी। तथा किशनाराम व गीता अपने पिता व ससुर की जमीन जायदाद मे से कोई हक हिस्सा नही मांगेगे तथा किशनाराम ने अपना हक अपने पिता व पुश्तेनी जायदाद व खेतो मे से हक तर्क कर दिया। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेकर्ड अप्रार्थी ने प्रस्तुत नही किया है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में निम्न बिन्दुओ पर विशलेषण किया जाना है।

1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला :– वादग्रस्त खेताय ग्राम साडोकण स्थित खसरा नम्बर 427, 428, 656, 657, 679 में प्रार्थिया के ससुर किरताराम सहखातेदार दर्ज है। किरताराम का 1 पुत्र विशनाराम था जो फौत हो चुका है। विशनाराम की पत्नी प्रार्थिया गीता की तरफ से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया के ससुर किरताराम वादग्रस्त खेताय में सहखातेदार दर्ज होने से प्रार्थिया का भी वादग्रस्त खेताय में निहित हिस्सा रहता चला आया है। पक्षकारान के मध्य बंटवाडा का वाद विचाराधीन है। दौरान वाद सहखातेदार द्वारा अपनी भूमि का बिना बंटवाडा करवाये ही भूमि का विक्रय कर देने से कब्जो को लेकर पक्षकारान के मध्य अभी भी लड़ाई, झगडा एवं शांति भंग होने का अंदेशा रहता है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर जब तक पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा निहित रहता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– वादग्रस्त खेताय प्रार्थिया के ससुर किरताराम के सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिया किरताराम के पुत्र स्वर्गीय विशनाराम की पत्नी प्रार्थिया गीता है। जिससे वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

ाय में स्वर्गीय किशनाराम की पत्नी गीता का भी वादग्रस्त खेताय में हक हिस्सा निहित ता चला आया है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है।

पूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त खेताय का दौराने वाद अगर किसी सहखातेदार द्वारा विक्रय, स्तान्तरण कर दिया जाता है तो क्रेता अजनबी व्यक्ति को कब्जे को लेकर पक्षकारान के य कभी भी नुकसे अमन का अंदेशा रहेगा। दौराने वाद वादग्रस्त खेताय का विक्रय स्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थिया को ही अपूर्णीय क्षति होने की संभावना रहेगी।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो से प्रार्थी वकील की हस को बल मिलता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार केया जाता है। वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 427, 428, 656, 657, 679 मौजा साडोकण का ाद के निर्णय तक विक्रय हस्तान्तरण रहन इत्यादि नही करने एवं राजस्व रेकर्ड की थास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.), नागौर

Scanned by CamScanner